

# Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम - 26)

अज अदालत ..... 342005 अजिमादी ..... (मुकाम) ..... मा 090

..... बनाम ..... गोपाल सिंह

किस्म मुकदमा ..... 258 ..... नं. .... 24/1/18 सन् .....

तारीख हुक्मा	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म के तामिल में जारी हुए।
--------------	------------------------------------	---

20/5/18	<p>अपीलांत के अपेक्ता द्वारा यह केपील विरुद्ध इल्हाठ के अन्तर्गत धारा-75 R/Lact 1958 के तहत पेसा की आ Subject to limitation दर्ज राजस्व से जाकर इल्हाठ के जरिये समान नामक किसे जाकर पेशवादी आपदा दिनांक 20/5/18 को पेश की।</p> <p style="text-align: right;">8000 रु</p>	
---------	--	--

राज्य सरकार एवं श्रीमान जिला कलेक्टर महा. पाली के निर्देशानुसार पत्रावली आबन्दा के लोके अदालत याम पंचायत मुख्यालय, अजिमादी ..... दिनांक 19/5/18 को पेश हों।

पत्रावली अधिकारी  
आरजुल जंक्शन

19/5/18	<p>पत्रावली आम राजस्व के अदालत जाप आपके द्वारे-2018 समुदाय के लोके अदालत अजिमादी पेशवादी इल्हाठ के अन्तर्गत।</p> <p>पत्रावली का निवलोकन करने पर पाया कि सरहद मौजा अजिमादी के खसरा नम्बर 3341 का जरिये जयपाल राजस्व इकाई में नामान्तरकता संख्या 157 दिनांक 30/11/13 से माराज होकर अपीलांत में यह</p>	
---------	---	--

तारीख  
हुक्मा

हुक्म या कार्यवाही मय इन्सियल्स जज

नम्बर या तारीख  
अहकाम जो इस हुक्म  
का तामिल में जारी हुए

अपील विरुद्ध रिफाउंड के प्रेम की गई  
है। अने नामान्तरण सं 157 दिनांक  
20/11/13 तहसीलदार भारवाड अम्बान  
द्वारा स्वीकृत किया गया है। इससे  
अने अपील अद्योहस्ताकर के  
क्षेत्रधिकार से परे है। इसलिए  
अपील अपीलार्ट की (स्वीकार योग्य)।  
होने के कारण प्रमाण्य है।

आदेश:-

अतः अपील अपीलार्ट क्षेत्रधिकार  
से परे होने से स्वारिज की जाती  
है। मिसल फलत शुकर केकर  
नम्बर 14 अम शुकर का विपण  
राजस्य केक केदाकर महे विप्य  
किमादी में सुनाया जाता है।

*(Handwritten signature)*

अधीनस्थ अधिकारी  
दफ्तर अम्बान